बजट 2013-2014

वित्त मंत्री

पी. चिदम्बरम

का

भाषण

28 फरवरी, 2013

अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2013-14 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

2. मुझे वित्त मंत्री के रूप में अपना पिछला कार्यकाल याद है और उस दौरान सदन के सभी वर्गों तथा देश के जनमानस से प्राप्त सद्भावना और समर्थन के लिए, मैं सबका आभारी हूँ। आज, संकट के इस कठिन दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में मुझे आपके सहयोग की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है। इस संकट का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है।

3. मैं अपने भाषण को सरल, स्पष्ट और छोटा रखूंगा।

I. अर्थव्यवस्था और चुनौतियां

4. मैं अपनी बात आर्थिक संदर्भों से शुरू कर रहा हूँ। वैश्विक आर्थिक विकास दर 2011 में 3.9 प्रतिशत थी जो कम होकर 2012 में 3.2 प्रतिशत रह गयी है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हमारी निर्यात तथा आयात राशि सकल घरेलू उत्पाद का 43 प्रतिशत है, तथा दो तरफा विदेशी क्षेत्रीय कारोबार बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 108 प्रतिशत हो गया है। दुनिया में कही अगर कुछ होता है तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी 2010-11 के बाद से गिरावट आयी है। चालू वर्ष में, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान किया है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5.5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है। अंतिम अनुमान चाहे जो भी हो, किन्तु यह भारत की संभावित 8 प्रतिशत विकास की दर से कम होगी। उस विकास दर को फिर से प्राप्त करना चुनौती है, जिससे देश जूझ रहा है।

5. तथापि, मैं यह बताना चाहता हूँ कि उदासीनता या निराशा की कोई वजह नहीं है। विश्व के बड़े देशों में सिर्फ चीन और इंडोनेशिया ही हैं जिनकी विकास दर 2012-13 में भारत से अधिक रही है और 2013-14 में, यदि हम अनेक पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा लक्षित विकास दर प्राप्त करते हैं, तो सिर्फ चीन की ही भारत से ज्यादा विकास दर होगी। 2004 और 2008 के दौरान और 2009-10 एवं 2010-11 में भी हमारी विकास दर 8 प्रतिशत से अधिक थी। वास्तव में, इन

छह वर्षों में से चार वर्षों में तो यह 9 प्रतिशत को भी पार कर गई थी। यू.पी.ए. सरकार के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, औसत विकास दर 8 प्रतिशत रही है जो कि किसी भी योजना अवधि के दौरान अभी तक की अधिकतम दर है। इसलिए उच्च विकास दर को हासिल करना हमारे लिए कोई अनोखी या हमारी क्षमता के बाहर की चीज नहीं है। हम पहले भी इसे हासिल करते रहे हैं और आगे भी करेंगे।

6. मैं मानता हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौतियों से गुजर रही है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और उच्च विकास की राह पर पहुँचेंगे। अब मैं, अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं का उल्लेख करूंगा।

7. हमारा लक्ष्य समावेशी और स्थायी विकास के साथ उच्च वृद्धि को हासिल करना है। यही मूल मंत्र है।

8. विकास एक आवश्यक शर्त है और हमें बेझिझक होकर उच्चतम लक्ष्य रखते हुए विकास करना है। यह वृद्धि ही है, जिससे समावेशी विकास होगा, बिना वृद्धि के न तो विकास होगा और न ही समावेशित होगी। तथापि, इसमें एक चेतावनी भी है। भारत की बहुलता और विविधता और सदियों की उपेक्षा, भेदभाव और अवनति के कारण, अनेक वर्गों के व्यक्ति पीछे रह जाएंगे, यदि हमने उनके प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया। नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लीज ने कहा है, ''साम्यता एक बाध्यकारी नैतिकता है, परन्तु यह भी आवश्यक है यदि सतत विकास होता है तो किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसके नागरिक होते हैं।'' हमारे पास तेजी से वृद्धि कर रहे राज्यों के उदाहरण हैं किन्तु महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और कुछ पिछड़े वर्गों को पीछे छोड़ दिया गया है। यू.पी.ए. इस वृद्धि मॉडल को स्वीकार नहीं करता है। यू.पी.ए. सरकार मानव विकास निर्देशकों के सुधार पर बल देकर देश के समावेशी विकास में विश्वास करती है। मैं, आशा करता हूँ कि यह बजट हमारी इस प्रतिबद्धता का दूसरा प्रमाण होगा।

राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति

9. बजट का उद्देश्य तथा वित्त मंत्री का काम आर्थिक गुंजाइश का सृजन करना और इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को तलाशना है। वर्तमान में, उच्च राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा के वित्तपोषण के लिए विदेशी अंतर्वाहों पर निर्भरता, कम बचत और कम निवेश, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति और प्रतिकूल विदेशी स्थितियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बाधित हो रही है। मैं अपने भाषण में, इन सभी विषयों के समाधान के तौर-तरीकों का जिक्र भी करना चाहूंगा।

10. सितंबर, 2012 में, सरकार ने डा. विजय केलकर समिति की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। नए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा घोषित हो चुकी है। इस वर्ष, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत तथा 2013-14 में 4.8 प्रतिशत होने के लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। मैं, जानता हूँ कि इसमें काफी संदेह है लेकिन हमने यह कार्य किस तरह किया है, मैं, इसका उल्लेख करना चाहूँगा।

11. मेरी मुख्य चिन्ता चालू खाता घाटा (सीएडी) है, तेल आयातों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता, कोयला आयातों में अप्रत्याशित उछाल और सोने के लिए हमारी ललक और निर्यात में गिरावट के

चलते चालू खाता घाटा लगातार अधिक बना हुआ है। इस वर्ष, और शायद अगले वर्ष भी, इस घाटे के वित्तपोषण के लिए हमें 75 बिलियन अमरीकी डालर की जरूरत होगी। हमारे सामने केवल तीन रास्ते हैंः एफ.डी.आई., एफ.आई.आई. या विदेशी वाणिज्यिक उधार। यही वजह है कि मैं बार-बार यह कहता रहा हूँ कि आज के दौर में भारत के पास विदेशी निवेश का स्वागत करने या उसे ठुकराने का विकल्प नहीं है। अगर मैं, ज्यादा स्पष्ट रूप से कहूँ, तो विदेशी निवेश, आज की अत्यावश्यकता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वह हमारे आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

12. अंततः, विकास स्थायी, आर्थिक और पर्यावरण सम्मत होना चाहिए। विकास के प्रस्तावित मॉडल को लोकतंत्रिक वैधता और अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

13. हमारे प्रोत्साहित विकास के प्रयासों पर मुद्रास्फीति की छाया मंडरा रही है। कुछ मुद्रास्फीति बाहरी कारणों से है। कुछ, मांग आपूर्ति असंतुलन के कारण है जैसाकि तिलहन और दालों की कीमतों से भी मुद्रास्फीति हुई है। कुल मांग भी मुद्रास्फीति का एक अन्य कारण है। मुद्रास्फीति की लड़ाई सभी मोर्चों पर लड़ी जानी होगी। पिछले महीनों में मुद्रास्फीति को नीचे लाने के हमारे प्रयासों के कारण थोक मूल्य सूचकांक 7.0 प्रतिशत तथा मुख्य मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत नीचे आयी है। अब खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है और हम खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूर्ति पक्ष को बढ़ाने का हर संभव कदम उठाएंगे।

14. सरकारी व्यय से कुल मांग बढ़ती है तथा इस वृद्धि के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम होते हैं। सरकारी व्यय के सही-सही स्तर का पता लगाना ही वास्तविक बुद्धिमता है। 2012-13 के बजट में, योजना व्यय का अनुमान बहुत महत्वकांक्षी तथा योजना-भिन्न व्यय का अनुमान बहुत सीमित था। भारी राजकोषीय घाटे का सामना करते हुए, मेरे सामने व्यय के यौक्तिकीकरण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमने कड़वी दवाई की खुराक ली है और लगता है कि अब यह असर कर रही हैं। हमने कुछ आर्थिक गुंजाइश फिर-प्राप्त कर ली है। जैसाकि मैंने अपनी योजनाएं और प्राथमिकता को तैयार करने के क्रम में, माननीय सदस्य देखेंगे कि मैंने आर्थिक गुंजाइश को, अर्थात यूपीए सरकार के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

II. आयोजना तथा बजटीय आवंटन

15. वर्ष 2012-13 में 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो रही है। वैश्विक और घरेलू पुनरूत्थान की आशा करते हुए, 14,90,925 करोड़ रुपए का कुल व्यय नियत किया गया है। आर्थिक विकास में आयी गिरावट और मितव्ययिता के उपायों के कारण, संशोधित अनुमान 14,30,825 करोड़ रुपए अथवा बजट अनुमान का 96 प्रतिशत है। राजकोषीय गुंजाइश ने मुझे 2013-14 में ज्यादा महत्वकांक्षी होने का आत्म-विश्वास दिया है। मैं, कुल व्यय का बजट अनुमान 16,65,297 करोड़ तथा योजना व्यय 5,55,322 करोड़ रुपए निश्चित करने में सफल हुआ हूँ। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 2013-14 में योजना व्यय, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 29.4 प्रतिशत अधिक होगा। सभी फ्लैगशिप कार्यक्रमों को पूरी तरह तथा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया गया है। मैं, यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि मैंने प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को उसकी निधियां खर्च करने की क्षमता के अनुरूप पर्याप्त निधियां प्रदान की हैं। अब यह उन मंत्रालयों और विभागों पर है कि वे सु-प्रशासन विवेक सम्मत, नकद प्रबंधन, कड़ी निगरानी और समय से कार्यान्वयन करते हुए बेहतर नतीजे प्राप्त करें।

16. अध्यक्ष महोदया, एक ओर आर्थिक नीति है, दूसरी ओर आर्थिक कल्याण है। भारत एक विकासशील देश है। नीति और कल्याण के बीच संबंध को कुछेक शब्दोंः अवसरों, शिक्षा, कौशलों, नौकरियों तथा आय से अभिव्यक्त किया जा सकता है। हर माता यह बात समझती है। हर स्त्री-पुरूष इसे समझते हैं। वर्ष 2013-14 के मेरे बजट से परे एक प्रमुख लक्ष्य हैः शिक्षा और कौशल प्राप्ति के लिए युवाओं हेतु अवसरों के सृजन से बेहतर नौकरियां या स्व-रोजगार मिल सकेगा और इससे उन्हें पर्याप्त आय होगी अैर इस तरह वे इतनी क्षमता जुटा सकेंगे कि वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित एवं सुनिश्चित परिवेश में रह सकें।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और बच्चे

17. मैं, माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि उनकी चिंताएं अब मेरी भी चिंताएं हैं। मैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जिनके लिए बजट एक उप योजना है, के कल्याण और प्रगति के लिए आपकी चिंता को समझता हूँ। मैं, उनकी इस चिंता को भी जानता हूँ कि महिलाओं, बच्चों तथा अल्प संख्यकों को फायदा पहुँचाने वाले कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी जानी चाहिए। जहां तक संभव हुआ है मैंने इन चिंताओं के समाधान की कोशिश की है। मैं, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 41,561 करोड़ रुपए तथा जनजातीय उप-योजना के लिए 24,598 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। यह योग, बजट अनुमान से 12.5 प्रतिशत तथा चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 31 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। मैं, इस नियम को भी दोहराता हूँ कि इन उपयोजनाओं के लिए आबंटित निधियां अन्यत्र अंतरित नहीं की जा सकती है तथा इन्हें उप योजनाओं में वर्णित प्रयोजनों पर ही खर्च किया जाना चाहिए।

18. मैंने, महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आबंटन किया है। माननीय सदस्यों को बजट दस्तावेजों से पता चलेगा कि 2013-14 में जेंडर बजट के लिए 97,134 करोड़ रुपए तथा बाल बजट हेतु 77,236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

19. अकेली महिलाओं और विधवाओं सहित महिलाएं समाज के सर्वाधिक दुर्बल वर्गों से संबंधित होती हैं, उन्हें पूरी गरिमा और आत्म सम्मान के साथ जीने में सक्षम होना होगा। युवा महिलाएं हर जगह खासकर, कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय से इन चिंताओं के निराकरण के लिए स्कीमें तैयार करने को कहा गया है। इस संबंध में कार्य शुरू करने के लिए, मैं उस मंत्रालय को 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अल्पसंख्यक

20. मैंने, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3,511 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। यह 2012-13 के बजट अनुमान से 12 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान से 60 प्रतिशत अधिक है।

21. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यकों हेतु गैर-सरकारी संगठनों के लिए निधियां जुटाने तथा शैक्षिक स्कीमों के क्रियान्वयन का मुख्य माध्यम है। इसकी समग्र निधि 750 करोड़ रुपए है। 12वीं योजना अवधि के दौरान इसे बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने के उद्देश्य से, मैं इस समग्र निधि में 160 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह प्रतिष्ठान अपने उद्देश्यों में स्वास्थ्य सहायता को भी जोड़ना चाहता है। मैंने, यह मान लिया है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा संचालित या निधिपोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी परिचारक या रेजीडेंट डाक्टर जैसी चिकित्सा

सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसकी शुरूआत की जा सकती है। मैं, इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, 100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

निःशक्त व्यक्ति

22. सरकार निःशक्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। चालू वर्ष के 75 करोड़ रुपए की तुलना में, 2013-14 में एडीआईपी स्कीम के लिए अशक्त कार्य विभाग को, मैं, 110 करोड़ रुपए की धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य और शिक्षा

23. सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताएं बराबर बनी हुई हैं।

24. मैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 37,330 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें से, एक नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रस्तावित शहरी स्वास्थ्य मिशन सम्मिलित हैं, को 21,239 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह संशोधित अनुमान से 24.3 प्रतिशत अधिक है।

25. मैं, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के लिए 4,727 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

26. राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम 21 राज्यों के 100 चुनिंदा जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। समर्पित जरा चिकित्सा विभागों के विकास के लिए आठ क्षेत्रीय जरा चिकित्सा केन्द्र निधिपोषित किए जा रहे हैं। मैं, इस कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

27. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। मैं, आयुष विभाग के लिए 1,069 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

28. एम्स जैसे छह संस्थाओं ने सितंबर, 2012 से आरंभ हुए शैक्षिक सत्र में पहले बैच के छात्रों को दाखिला दे दिया है। इन कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल 2013-14 में काम-काज शुरू कर देंगे। मैं, इस संस्थाओं के लिए 1,650 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. शिक्षा एक अन्य उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। मैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65,867 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह गत वर्ष के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है। सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी तरह क्रियान्वित हैं। मैं, 2013-14 में इस अभियान के लिए 27,258 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

30. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में निवेश को और ज्यादा समय तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 3,983 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.6 प्रतिशत अधिक है।

31. माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 2013-14 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक छात्रों तथा बालिकाओं को हजारों छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए मैं विभिन्न मंत्रालयों को चालू वर्ष के संशोधित अनुमान 4,575 करोड़ रुपए की तुलना में, 5,284 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

32. मध्याह्न भोजन स्कीम को 13,215 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

33. नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण ने अब गति पकड़ी है। सरकार शैक्षिक उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

एकीकृत बाल विकास योजना

34. मैं, 2012-13 में प्रदान किए गए 15,850 करोड़ रुपए की पूरी राशि खर्च करने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना की सराहना करता हूँ। बच्चों की जरूरतों के मद्देनज़र, मैं 2013-14 में इसके लिए 17,700 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इससे आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया जाता रहेगा।

35. प्रचुर खाद्यान्नों वाले देश में मातृत्व और बाल-कुपोषण बड़े शर्म की बात है। इसे हमें दूर करना है। पिछले वर्ष घोषित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम 2013-14 के दौरान 100 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा और वर्ष 2013-14 के बाद वाले वर्ष में इस कार्यक्रम का विस्तार 200 जिलों में किया जाएगा। 2013-14 में इस कार्यक्रम हेतु, मैं, 300 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पेयजल

36. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता से अनेक बाह्य फायदे हैं। मैं मौजूदा वर्ष में संशोधित अनुमान स्तर पर 13,000 करोड़ रुपए की तुलना में, पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय को 15,260 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

37. अभी भी देश में ग्रामीण इलाकों में 2,000 आर्सेनिक और 1,200 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां हैं। मैं, जल शोधक संयंत्र स्थापित करने के लिए, 1,400 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रामीण विकास

38. ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित करता है। हमारा अनुमान है कि वे मौजूदा वर्ष की समाप्ति से पहले 55,000 करोड़ रुपए खर्च करने में समर्थ होंगे। मैं, 2013-14 के लिए इसे 80,194 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 46 प्रतिशत अधिक है। मनरेगा के लिए 33,000 करोड़ रुपए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21,700 करोड़ रुपए और इंदिरा आवास योजना के लिए 15,184 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।

39. अनेक राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्यों को ज्यादातर हासिल किया जा चुका है। स्वभावतः ये राज्य कुछ अधिक करना चाहते हैं। अतः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II को तैयार करने और नए कार्यक्रमों को निधियों का एक भाग आबंटित करने का प्रस्ताव है जिससे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा। ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-II के ब्यौरे की घोषणा यथा समय की जाएगी।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

40. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 12वीं योजना में जारी रखा जा रहा है। 2009 से 2012 के दौरान 14,000 स्वीकृत बसों ने शहरी परिवहन में बड़ी भूमिका निभायी है। चालू वर्ष में, मैं 7,383 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में,इस मिशन के लिए 14,873 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें से महत्वपूर्ण भाग का उपयोग, विशेषकर पर्वतीय राज्यों द्वारा 10,000 बसों की खरीद में किया जाएगा।

III. कृषि

41. हमारे मेहनती किसानों को धन्यवाद, जिनके कठिन परिश्रम से कृषि उत्पादन बहुत अच्छा बना रहा। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर ग्यारहवीं योजना में 3.6 प्रतिशत रही जबकि 9वीं तथा 10वीं योजना में यह दर क्रमशः 2.5 तथा 2.4 प्रतिशत थी। 2012-13 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 250 मिलियन टन से अधिक होगा। खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य को यूपीए सरकार में यथेष्ट रूप से बढ़ाया गया था। किसानों ने वर्धित समर्थन को देखते हुए और अधिक उत्पादन किया। आज, भारत दूध, दालों और जूट के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फलों तथा कपास के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अप्रैल से दिसंबर, 2012 तक कृषि निर्यात 1,38,403 करोड़ रुपए से अधिक रहे।

42. मैं, कृषि मंत्रालय को 27,049 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है। इसमें से, 3,415 करोड़ रुपए कृषि अनुसंधान को प्रदान किए जाएंगे।

कृषि ऋण

43. कृषि ऋण कृषि उत्पादन की प्रमुख शक्ति है। हम 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को बढ़ाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, मैं इस लक्ष्य को बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

44. अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए ब्याज माफी स्कीम जारी रहेगी और जो किसान समय पर इन ऋणों को अदा करेंगे उन्हें प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएंगे। अभी तक यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू है। मेरा प्रस्ताव है कि संबद्ध शाखा के अपने सेवा क्षेत्र में दिए गए ऋणों के संबंध में इस स्कीम के फायदे निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋणों के लिए भी दिए जाएं।

हरित क्रांति

45. पूर्वी भारत में हरित क्रांति ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल ने चावल उत्पादन में अपना योगदान बढ़ाया है। मैं, 2013-14 में 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ पूर्वी भारतीय राज्यों को यह सहायता जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

46. हरित क्रांति के मूल राज्य उपज में ठहराव और जल संसाधनों के अति दोहन की समस्या से जूझ रहे हैं। इसका जवाब फसल विविधता में है। मैं, फसल विविधता कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कार्यक्रम तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा तथा फसल विकल्पों के चयन में किसानों की मदद करेगा।

47. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि में उच्च निवेश जुटाने के लिए तैयार की गई है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आशय फसल अन्तराल को पूरा करना है। मैं, इन दोनों कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 9,954 करोड़ रुपए तथा 2,250 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

48. छोटे और सीमांत किसान हर कहीं, खासकर सूखाग्रस्त तथा पर्यावरणीय तनावग्रस्त क्षेत्रों में बहुत असुरक्षित हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों तथा वामपंथी अतिवाद द्वारा प्रभावित जिलों में आते हैं। भूमि तथा जल उपयोग की उत्पादकता में सुधार के लिए जल संभरण प्रबंधन एक महत्वपूर्ण साधन है। एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रमों के लिए, मैं 2012-13 (ब.अ.) में 3,050 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,387 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

49. प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि फसल की नई किस्में जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होंगी जैसे लौह युक्त बाजरा, प्रोटीन युक्त मक्का, जिंक युक्त गेहूँ की स्कीम शुरू करने के लिए न्यूट्री कृषि पर एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रायोगिक योजना के आरंभ के लिए, मैं 200 करोड़ रुपए का आवंटन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। कृषि मंत्रालय इस बारे में एक स्कीम तैयार करेगा और मुझे उम्मीद है कि कृषि कारोबारी तथा किसान कुपोषण प्रभावित जिलों में इन प्रयोगों के लिए एक होंगे।

50. पौध संरक्षण मामलों के निवारण के लिए रामपुर, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बायोटिक स्ट्रेस प्रबंध संस्थान स्थापित किया जाएगा। भारतीय कृषि बायो तकनीकी संस्थान रांची, झारखण्ड में स्थापित किया जाएगा और कृषि-बायो तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

51. नारियल बागानों के पुनर्रोपण तथा नवीकरण की एक प्रायोगिक स्कीम ने केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के कुछ जिलों में बेहद उत्साहजनक नतीजे दर्शाए हैं। मैं इस स्कीम को पूरे केरल राज्य में विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके लिए वर्ष 2013-14 में 75 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

किसान उत्पादक संगठन

52. कृषि उत्पादक कंपनियों (एफ पी सी) सहित कृषि उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) कृषि उत्पादों और बाजार से सीधे जुड़े किसानों के समाकलक समूह के रूप में सामने आए हैं। इनकी सहायता के लिए, मैं अधिकतम 10 लाख रुपए का समान इक्विटी अनुदान प्रदान करता हूँ जिससे कि ये संगठन वित्तीय संस्थाओं से कार्यक्षम पूंजी जुटाने में सक्षम होंगे। इस प्रयोजन के लिए मैं, 50 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, शुरूआत में 100 करोड़ रुपए की निधि के साथ लघु कृषक कृषि कारोबारी निगम में एक जमा गारंटी फंड तैयार किया गया है। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि एपीएमसी अधिनियम में आवश्यक सुधारों से तथा अन्य प्रकार से इन एफपीओ की सहायता करें।

राष्ट्रीय पशु मिशन

53. निवेश जुटाने तथा स्थानीय कृषि-प्रास्थितिकी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2013-14 में राष्ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के लिए मैं, 307 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूँ। दाना-चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसमें एक उप मिशन भी होगा।

खाद्य सुरक्षा

54. खाद्य सुरक्षा मनुष्य का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसा ही मूलभूत अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक आश्वासन है। मुझे उम्मीद है कि संसद इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित करेगी। माननीय सदस्यों, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अधिनियम के अंतर्गत संभावित वृद्धिपरक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्य प्रावधान से अलग, मैंने 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

IV. निवेश अवसंरचना तथा उद्योग

55. अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश दर से जुड़ी हुई है। विकास इंजन को शुरू करने वाली चाबी घरेलू तथा विदेशी निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने में है। निवेश एक भरोसे की चीज है। अनुचित विनियामक भार या कर कानूनों के जंजाल के डर के साथ-साथ निवेशकों के मन में किसी प्रकार के अविश्वास या संशय दूर करने के लिए, हम अपनी नीतियों के प्रचार-प्रसार को सुधारेंगे। "भारत में कारोबार करना" आसान, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी दिखना चाहिए।

56. हालांकि, प्रत्येक क्षेत्र में नए निवेश की जरूरत है, लेकिन निवेश की सर्वाधिक आवश्यकता अवसंरचा क्षेत्र में है। 12वीं योजना में अवसंरचना क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर या 55,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। योजना में यह संकल्पित है कि इस निवेश की 47 प्रतिशत हिस्सेदारी निजी क्षेत्र से होगी। इसके अलावा, निवेश के लिए निधियां जुटाने हेतु, हमें नई तथा नवाचारी लिखतों की जरूरत होगी। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय अपना रही है या अपनाना चाहती हैः

- अवसंचना ऋण निधि (आई डी एफ) को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन निधियों से संसाधन जुटाए जाएंगे और आरंभिक वित्तपोषण के जरिए ऋण वृद्धि तथा अन्य नवाचारी उपायों से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निम्न लागत वाले दीर्घावधिक ऋण सुविधा जुटायी जा सकेगी। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष है कि अब तक सेबी में चार आई डी एफ को पंजीकृत कर लिया गया है और इनमें से दो ने फरवरी, 2013 से अपना कार्य शुरू कर दिया है।
- एशियाई विकास बैंक की सहभागिता में भारतीय अवसंरचना वित्त निगम लि. (आईआईएफसीएल) ने बांड मार्केट में दीर्घावधिक निधियों के दोहन हेतु शीर्ष पर पहुँचने की इच्छा रखने वाली अवसंरचना कंपनियों के ऋण वृद्धि प्रदान करेगा। सड़क परियोजना के लिए इस माह के आरंभ में ही संव्यवहार हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बाद में भी ऐसे संव्यवहार होते रहेंगे।
- पिछले दो वर्षों में कई संस्थाओं को कर-मुक्त बांडों के निर्गम की अनुमति दी गई है। इन्होंने 2011-12 में 30,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और आशा है कि 2012-13 में लगभग

25,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। मैं 2013-14 में कुछ संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए की कुल राशि तक बाजार में केवल धन उगाही की क्षमता और जरूरत के आधार पर कर-मुक्त बांड जारी करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता हूँ।

- बहु-पक्षीय विकास बैंक क्षेत्रीय सम्पर्क बढ़ाने के प्रयासों में सहायता के लिए उत्सुक हैं। 'लुक ईस्ट' नीति तथा पूर्वोत्तर राज्यों के हित को जोड़ते हुए, मैं पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों के निर्माण और उन्हें म्यांमार से जोड़ने में एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक से सहायता लेने का प्रस्ताव करता हूँ।
- नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) का संचालन करता है। आरआईडीएफ ने अब तक 18 ट्रांशों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। 2013-14 में, मैं आरआईडीएफ-XIX की समग्र निधियन को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
- हालांकि पहले यह घोषणा की गई थी कि भण्डागार सुविधाओं के निर्माण के लिए नाबार्ड में उपलब्ध निधियों को कई कारणों से पूरा नहीं किया जाएगा। सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि इन सभी मामलों को सुलझा लिया गया है और भण्डागारों, गोदामों, साइलो तथा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए बनाए गए शीत गृह इकाइयों के निर्माण हेतु आरआईडीएफ की एकल विंडो के अंतर्गत नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करायी जाएगी। यह विंडो राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों द्वारा गोदामों के निर्माण को भी वित्तपोषित करेगी, जिससे किसान अपने उत्पादों का भण्डारण कर सकेंगे।

सड़क निर्माण

57. सड़क निर्माण क्षेत्र परिपक्वता के एक स्तर पर पहुँच गया है किन्तु यह वित्तीय दबावों, बढ़े हुए निर्माण जोखिम तथा सविदा प्रबंधन मामलों, जिन्हें स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा ही बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है, के साथ कई अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रहा है। इसलिए सड़क क्षेत्र के लिए सरकार ने एक विनियामक प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। सड़क परियोजनाओं की अड़चनों को दूर कर दिया गया है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3,000 कि.मी. की इन सड़क परियोजनाओं को 2013-14 की पहली छमाही में अधिनिर्णीत कर दिया जाएगा।

निवेश सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति

58. औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की बहाली एक अहम चुनौती है। विनियामक अड़चनों को सुलझाए बिना, कई परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। निवेश प्रस्तावों पर निगरानी तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं, जिनमें बंद पड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं, और क्रियान्वयन के चरण में प्रक्रिया को त्वरित एवं बाधारहित बनाने के क्रम में निवेश संबंधी एक मत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन किया गया है। इसकी दो बैठकें पहले ही आयोजित हो चुकी हैं और तेल, गैस, विद्युत तथा कोयला संबंधी कई परियोजनाओं पर निर्णय लिए गए हैं। यह समिति शीघ्र कुछ और परियोजनाओं पर कार्य शुरू करेगी।

नए निवेश

59. मैं, नए निवेश जुटाने तथा परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए नए उच्च मूल्यों वाला निवेश भत्ता आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। 1.4.2013 से लेकर 31.3.2015 के दौरान किसी संयंत्र और मशीनरी में 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक का निवेश करने वाल कोई कंपनी निवेश के 15 प्रतिशत की दर पर निवेश भत्ते की कटौती की हकदार होगी। यह अवमूल्यन की चालू दरों के अतिरिक्त होगा। इससे लघु तथा मध्यम उद्यमों को अपार लाभ होंगे।

60. राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक नीति, 2012 से भारत में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देना अभिप्रेत है। हम इलेक्ट्रोनिक के विनिर्माण की ईको प्रणाली में सेमी कंडक्टर वाटर फैब के महत्व को समझते हैं। हम प्रतिस्पर्धी दुनिया की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धी दुनिया की वास्तविकता, जहां कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश जुटाती है। अतः मैं, संयंत्र तथा मशीनरी पर शून्य सीमा शुल्क के साथ-साथ सेमी कंडक्टर वाटर फैब विनिर्माण सुविधाओं की समुचित प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूँ।

बचत

61. बढ़ती दीर्घ बचतें और उत्पादन कार्यों में उनके इष्टतम आबंटन ही उच्च आर्थिक वृद्धि को बढ़ाती हैं। 2007-08 में 36.8 प्रतिशत के उच्च अनुपात के साथ सकल घरेलू बचत 2011-12 में गिरकर 6 प्रतिशत पर आ गई। निजी क्षेत्र, जिसमें हाउसहोल्ड तथा निगम क्षेत्र शामिल हैं, ही बचत में मुख्य अंशदाता हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए और सोना खरीदने के बजाय वित्तीय लिखतों में बचतों को बनाए रखने के लिए हाउसहोल्ड क्षेत्र को अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए मैं, इस सिलसिले में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँः—

- पहला, राजीव गांधी इक्विटी बचत स्कीम को उदारीकृत किया जाएगा, जिसमें पहली बार निवेशक को म्यूचुअल फंडों में तथा सूचीबद्ध शेयरों में निवेश करने की अनुमति होगी और वह यह कार्य सिर्फ एक वर्ष में नहीं बल्कि बाद के लगातार तीन वर्षों में कर सकेगा। आय सीमा 10,00,000 रुपए से बढ़ाकर 12,00,000 रुपए कर दी जाएगी।
- दूसरा, किसी बैंक या गृह वित्तपोषण निगम से 1.4.2013 से लेकर 31.3.2014 की अवधि के दौरान अपने पहले घर के लिए 25,00,000 रुपए गृह ऋण लेने वाला व्यक्ति 2014-15 में 1,00,000 रुपए तक ब्याज कटौती का हकदार होंगे और यदि यह सीमा पूरी नहीं होती है तो शेष आकलन वर्ष 2015-16 में लागू होगी। इससे गृह स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा और इस्पात, सीमेन्ट, ईंट, लकड़ी, शीशा आदि उद्योगों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हजारों विनिर्माण मजदूरों को रोजगार मिलेगा।
- तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद मैं, एक नई लिखत की शुरूआत का प्रस्ताव करता हूँ जो मुद्रास्फीति से बचतों, खासकर गरीबों तथा मध्यम वर्गीय जनता की बचतों की रक्षा करेगा। इन्हें मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड या राष्ट्रीय मुद्रास्फीति सूचकांकित प्रमाणपत्र कहा जा सकेगा। इन लिखतों की संरचना की रूपरेखा और अवधि बाद में घोषित की जाएगी।

औद्योगिक कॉरिडोर

62. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना (डीएमआईसी) ने तेजी से प्रगति की है। सात नए शहरों के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और धोलेरा, गुजरात और शेन्द्रा

बिदकिन, महाराष्ट्र के दो नए औद्योगिक शहरों के संबंध में 2013-14 के दौरान कार्य शुरू हो जाएगा। इस संबंध में हम सहयोग के लिए जापान सरकार के आभारी हैं। निधियन के बारे में किसी संदेह की स्थिति में मैं, यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि जरूरी हुआ तो परियोजना के समग्र परिव्यय में भारत के अंशदान के लिए 2013-14 के दौरान हम अतिरिक्त निधियां जुटाएंगे।

63. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) वर्तमान में चेन्नई, बंगलुरू औद्योगिक कॉरिडोर के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। यह कॉरिडोर तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकारों के सहयोग से विकसित किया जाएगा।

64. अगला गलियारा बंगलुरू-मुम्बई औद्योगिक गलियारा होगा, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है।

लेह-कारगिल ट्रांसमिसन लाइन

65. लेह-कारगिल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधारने के लिए तथा लदाख क्षेत्र को उत्तरी ग्रिड से जोड़ने के लिए सरकार 1,840 करोड़ रुपए की लागत पर श्रीनगर से लेह तक एक ट्रांसमिसन लाइन का निर्माण कर रही है। इस परियोजना के लिए 2013-14 में, मैं 226 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पत्तन

66. 100 मिलियन टन की क्षमता वर्धन के लिए, दो नए प्रमुख पत्तन सागर, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने हैं इनके अलावा, तमिलनाडु में थूटूकुड्डी वीओसी पत्तन में 7,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर एक नया (बाहरी) बंदरगाह विकसित किया जाना है। इसके पूरा होने पर 42 मिलियन टन क्षमता की वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय जलमार्ग

67. राष्ट्रीय जलमार्गों के तौर पर पांच जलमार्गों को घोषित किया गया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जल संसाधन मंत्री शीघ्र ही असम में बराक नदी पर लाखीपुर-भांगा जलधारा को छठे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के लिए संसद में शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। जलमार्ग, सड़कों और पत्तनों से ग्रिड का संपर्क बनाने के लिए आरभिक तैयारी जारी है। प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारी कार्गो के आवागमन व परिवहन के लिए 12वीं योजना में प्रमुख कार्यों, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्गों की ड्रेजिंग भी शामिल है, के लिए पर्याप्त परिव्यय है। उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए नौका प्रचालकों के चयन का है ताकि भारी माल को बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय जलमार्गों से ढोया जा सके। पश्चिम बंगाल में हल्दिया से फरक्का तक पहला परिवहन अनुबंध किया गया है।

तेल और गैस

68. लाभ वितरण से राजस्व वितरण संविदाओं की तरफ बढ़ते हुए तेल एवं गैस दोहन नीति की पुनः समीक्षा की जाएगी। शेल गैस के दोहन और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति घोषित की जाएगी। प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जाएगी और इसके मूल्यन से जुड़ी अनिश्चिताओं को हटाया जाएगा। एनईएलपी ब्लॉक जिनका अधिनिर्णय किया गया किन्तु कार्यान्वित

नहीं हो सके उन्हें क्लीयर किया जाएगा। दाभोल, महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए एलएनजी टर्मिनल 2013-14 में पूरी तरह से चालू हो जायेगा।

कोयला

69. विशाल कोयला भण्डारों के बावजूद हम काफी मात्रा में कोयला आयात करते है। अप्रैल-दिसंबर 2012 की अवधि के दौरान कोयला आयात 100 मिलियन टन से भी ऊपर पहूंचा गया था। अनुमान है कि यह आयात 2016-17 में 185 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। यदि मौजूदा विद्युत संयंत्रों तथा 31.3.2015 तक शुरु होने वाले विद्युत संयंत्रों की कोयला जरूरतों को ध्यान में रखे तो कोयला आयात को स्वीकारने और मिश्रण तथा संचित मूल्य निर्धारण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मध्यम और दीर्घावधिक उपायों में हमें आयातित कोयले पर निर्भरता को हटाना होगा। इससे बचाव का अगर कोई तरीका हो सकता है तो इसके लिए हमें विद्युत उत्पादकों तथा अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाने के क्रम में एक भागीदार के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी की एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करनी होगी। इन मामलों पर सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में कोयला मंत्री सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे।

विद्युत

70. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि डिस्काम्स (डीआईएससीओएमएस) की वित्तीय पुनर्संरचना और विद्युत क्षेत्र की हालात में सुधार के लिए सरकार ने एक स्कीम को अनुमोदित किया है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहूंगा कि शीघ्रता से वित्तीय पुनर्संरचना योजनाएं तैयार करें, इसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें और स्कीम से लाभ उठाएं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

71. नौकरियों, उत्पादन और निर्यात में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की बहुत भारी भूमिका है। इनमें से कई उद्यम छोटे और मध्यम हैसियत से जुड़े लाभों को खोने के डर से और तरक्की नही कर पाते हैं। उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है की जिस श्रेणी में उन्हें यह लाभ मिलता है, उस श्रेणी से आगे बढ़ने के बावजूद अगले तीन वर्षों तक उन्हें यह लाभ मिलता रहे। शुरुआत के तौर पर मेरा प्रस्ताव है कि एमएसएमई, कलस्टर विकास कार्यक्रम, ऋण गारंटी विकास कोष, ऋण से जूड़ी पूंजी सब्सिडी स्कीम, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम तथा गुणवत्ता परक उन्नयन के लिए प्रोत्साहन एमएसएमई की एमई इकाइयों को तब तक उपलब्ध कराएं, जब तक कि वे इससे ऊंची श्रेणी में न पहुंच जाएं।

72. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को अधिक सहायता मुहैया कराने के लिए मैं सीडबी की पुनर्वित्त क्षमता को प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

73. वर्ष 2011-12 में सिडबी ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को इक्विटी और अर्ध-इक्विटी मुहैया करने के लिए 100 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से इंडिया माइक्रो फायनेंस इक्विटी नामक कोष की स्थापना की है। 37 एमएफआई के लिए 104 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैंने आईएमई कोष में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और अब मेरा प्रस्ताव इस निधि में प्रतिवर्ष 100 करोड़ की एक और राशि मुहैया कराने का है।

74. कारखाना अधिनियम, 2011 संसद द्वारा पारित है। मैं कारखानों के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु सिडबी हेतु 500 करोड़ रुपए की निधि मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूं।

75. छोटे कारोबारियों को तकनीकी तथा अभिकल्पना संबंधी सहायता देने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा टूल रूम तथा तकनीकी विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान ऐसे 15 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्व बैंक की सहायता से मैं 2,200 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

76. लघु तथा मध्यम कारोबार के रूप में नए कारोबारों के सृजन में इन्क्यूबेटरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत नया कंपनी विधेयक कंपनियों को औसत निवल लाभों के 2 प्रतिशत खर्च करने के लिए बाध्य करता है। मुझे यह घोषित करते हुए खुशी है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय शैक्षिक संस्थानों में स्थित तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा अनुमोदित तथा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक इन्क्यूबेटरों को मुहैय्या कराई जाने वाली निधियाँ अधिसूचित करेगा।

वस्त्र

77. मैं 12वीं योजना में कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफस) को 151,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मुख्य फोकस विद्युत करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर होगा। 2013-14 में इस प्रयोजन हेतु, मैं 2,400 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

78. टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत की गई है। वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के लिए एसआईटीपी के भीतर वस्त्र पार्कों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे वस्त्र पार्कों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं वस्त्र मंत्रालय को 50 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ जिससे कि प्रत्येक पार्क को 10 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा सके।

79. 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना नामक एक नई योजना का कार्यान्यवन 12वीं योजना में निस्सारी अभिक्रिया अवसंरचना में सुधार सहित वस्त्र उद्योग के पर्यावरण संबंधी सरोकारों की देख-रेख हेतु किया जाएगा। 2013-14 में इस योजना हेतु, मैं 50 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

80. हथकरघा क्षेत्र संकट में है। हथकरघा बुनकरों में अधिकांशतः महिलाएँ हैं और मुख्यतया पिछड़े वर्गों से हैं। मैं कार्यशील पूँजी और सावधि ऋणों की उनकी माँग को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2013-14 में 1,50,000 बुनकर और 1,800 प्राथमिक सहकारी समितियों को फायदा पहुँचेगा। मैं 2013-14 में वस्त्र मंत्रालय को 96 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि ब्याज सहायता के रूप में आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. भारत के पास पारम्परिक उद्योगों की एक समृद्ध परम्परा है। 11वीं योजना के दौरान पारम्परिक उद्योग पुनरूद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) के खादी उद्योग, ग्रामीण उद्योग और नारियल जटा उद्योगों के विकास हेतु जिम्मेवारी ली गई। परिणामों से प्रोत्साहित होकर,

12वीं योजना में 850 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। 12वीं योजना के दौरान 800 समूहों को एसएफयूआरटीआई प्रदान करने के लिए मैं बहुपक्षीय विकास बैंकों से लीवरेज सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। 400,000 कारीगरों के लाभान्वित होने की प्रत्याशा है।

विदेश व्यापार

82. अगले माह विदेश व्यापार नीति में किए जाने वाले बदलाव को देख रहा हूं और वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले उपायों का समर्थन करता हूं।

V. वित्तीय क्षेत्र

83. वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का हृदय है।

84. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने 2011 में वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) का गठन किया है। मुझे बताया गया है कि रिपोर्ट अगले माह प्रस्तुत की जाएगी। हमारा आशय इसकी सिफारिशों की जाँच करना और त्वरित एवं निर्णायक रूप से कार्य करना है जिससे कि हमारा वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ विधिक बुनियादों पर खड़ा हो तथा पूर्ण-विनियमित, दक्ष और अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी रहे। मैं, वित्त मंत्रालय में विशेषज्ञों की एक स्थायी परिषद् के गठन का प्रस्ताव करता हूँ जो भारतीय वित्तीय क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण करे, भारतीय बाजार में व्यापार करने की लेन-देन लागतों की समय-समय पर जाँच करे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को जानकारी प्रदान करे।

बैंकिंग

85. हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अच्छी तरह से विनियमित हैं, अतः उनका पर्याप्त रूप से पूँजीकरण भी किया जाना चाहिए। मार्च, 2013 की समाप्ति के पहले, हम सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों को 12,517 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूँजी प्रदान करेंगे। 2013-14 में, मैं पूँजी हेतु 14,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हमेशा बासेल-III विनियमों की शर्तें पूरी करें क्योंकि ये विनियम चरणबद्ध तरीके से लागू होते हैं।

86. वित्तीय समावेशन में तीव्र प्रगति हुई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली (एनईएफटी और आरटीजीएस) की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हम भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के साथ कुछ सहकारी बैंकों सहित सभी अन्य बैंकों में 31.12.2013 तक सीबीएस और ई-पेमेंट प्रणाली शुरु करने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुझे आश्वासन दिया है कि उनकी सभी शाखाओं में 31.3.2014 तक एटीएम की सुविधा शुरु हो जाएगी।

87. वर्तमान में, महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों सहित कई बैंकों की प्रमुख हैं, परन्तु ऐसा कोई बैंक नहीं है जो अनन्य रूप से महिलाओं के लिए ही सेवा प्रदान करता हो। क्या हमारे पास ऐसा बैंक हो सकता है जो केवल महिलाओं और महिलाओं द्वारा परिचालित व्यापारों को ही ऋण प्रदान करता हो और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों और महिलाओं की आजीविका हेतु सहायता प्रदान करता हो, जो अपने कार्यों हेतु मुख्यतया महिलाओं को ही नियुक्त करता हो तथा जो सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के लिंग संबंधी पहलुओं की देख-रेख करे। इसलिए मेरा प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में प्रथम महिला बैंक स्थापित करने का है। इसकी आरंभिक पूंजी

के तौर पर, मैं 1,000 करोड़ रुपए मुहैया कराऊँगा। उम्मीद है कि अक्तूबर, 2013 तक बैंकिंग लाइसेंस तथा अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे और उसके बाद, बैंक के उद्घाटन के अवसर पर, मैं सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित करूँगा।

88. राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए गठित ग्रामीण आवास कोष को आरआरबी सहित, जो ग्रामीण आवास के लिए ऋण मुहैया कराते हैं, ऋणदाता संस्थाओं के पुनः वित्तपोषण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अब तक 4,00,000 ग्रामीण परिवार ऋण ले चुके हैं। पिछले बजट में, हमने इस कोष में 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए थे। अब भारतीय रिर्जव बैंक से परामर्श के बाद 2013-14 में ग्रामीण आवास कोष में 6,000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का मेरा प्रस्ताव है।

89. इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में मकानों की भारी कमी को दूर करने के लिए मेरा प्रस्ताव शहरी आवास के लिए एक कोष गठित करने का है। राष्ट्रीय आवास बैंक से मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुए एक शहरी आवास कोष गठित किया जाए। मैं 2013-14 में इस कोष में 2,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

बीमा

90. देश में जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों के प्रसार के लिए एक बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। विनियामक (इरडा) से परामर्श करते हुए कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है, जो इस प्रकार हैं :

- बीमा कंपनियों को, इरडा के पूर्वानुमोदन के बिना, टीयर-II तथा इससे निचले शहरों में शाखाएं खोलने की अनुमति होगी।
- 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले प्रत्येक भारतीय कस्बे में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय साधारण बीमा कंपनी का कम से कम एक कार्यालय होगा। मेरा इस लक्ष्य को 31.3.2014 तक हासिल करने का प्रस्ताव है।
- बैंकों की केवाईसी बीमा पॉलिसियां लेने के लिए पर्याप्त होंगी।
- बैंकों को बीमा ब्रोकर के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि बैंक शाखाओं के समूचे नेटवर्क का उपयोग विस्तार क्षेत्र बढ़ाने में किया जा सके।
- बैकिंग संपर्कियों को माइक्रो-बीमा उत्पादों का विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी।
- ग्रुप बीमा उत्पादों को अब स्व सहायता समूहों, घरेलू वर्कर्स एसोशियसनों, आंगनवाडी वर्करों, स्कूलों के अध्यापकों, अस्पतालों में कार्यरत नर्सों आदि जैसे समरूपी वर्गों को प्रस्तावित किया जाएगा।
- लगभग 10,00,000 मोटर थर्ड पार्टी दावे हैं जो अधिकरणों/न्यायालयों में लंबित हैं। सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां इन दावों को निपटाने और प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत देने के लिए अदालतें आयोजित करेंगी।

91. बीमा विधि (संशोधन) विधेयक और पीएफआरडीए विधेयक सदन में रखे हुए हैं । मैं आशा करता हूं कि सरकार और विपक्ष आम सहमति बनाए और इस सत्र में दोनों विधेयकों को पारित करें।

92. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-निर्वाह करने वाले 34 मिलियन परिवार आते हैं। इस योजना का विस्तार अब रिक्शा, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों, स्वच्छता वर्करों, कबाडियों और खान वर्करों जैसी अन्य श्रेणियों के लिए किया जाएग।

93. असंगठित क्षेत्र के लिए वृह्द और एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पैकेज एक ऐसा उपाय है जिससे समाज के सबसे गरीब और दुर्बल वर्गों को फायदा होगा। इस पैकेज में लाइफ-कम निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य कवर मातृत्व सहायता और पेंशन प्रसुविधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। एएबीवाई और आईजीएमएमवाई जैसी वर्तमान योजनाओं को अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित किया जाता है। मैं विविध स्टेकहोल्डर मंत्रालयों/विभागों के बीच इन योजनाओं के कनवर्जेंस को सुसाध्य बनाने का प्रस्ताव करता हूं ताकि हम एक वृहद सामाजिक सुरक्षा पैकेज तैयार कर सकें ।

पूंजी बाजार

94. मुझे विश्वास है कि भारत का पूंजी बाजार सर्वोत्तम विनियमित बाजारों में है। विनियामक सेबी ने पिछले वर्षों में विनिमय और परिपाटियां निर्धारित की हैं जिनमें बाजार को एक परिपक्व बाजार बनने के लिए अनुमति है। यह वर्ष सेबी का रजत जयंती वर्ष है और मैं सेबी को इसके लिए बधाई देता हूं । इस विनियामक को सुदृढ़ करने के लिए सेबी अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

95. मेरे पास पूंजी बाजार से संबंधित अनेक प्रस्ताव हैं जिन्हें सेबी के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है :

- विदेशी संस्थागत निवेशकों, उप-खाताओं, अर्हक विदेशी निवेशकों आदि जैसे विदेशी पॉर्टफोलियों निवेशकों की अनेक श्रेणियां हैं और उनके लिए भिन्न-भिन्न अवसर और प्रक्रियाएं भी हैं। सेबी द्वारा प्राधिकृत निर्दिष्ट निक्षेपागार भागीदार, के.वाई.सी. दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने पर अब पोर्टफोलियो निवेशकों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों को रजिस्टर करने के लिए स्वतंत्र होंगे;
- सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के प्रवेश के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा तथा समान रजिस्ट्रेशन और अन्य मानकों को विहित करेगा। सेबी विभिन्न केवाईसी मानकों को इक्ठठा करेगा तथा केवाईसी के लिए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि इसे केंद्रीय बैंकों, सावरेन संपत्ति निधियों, विश्वविद्यालय निधियों, पेंशन निधियों आदि के रूप में विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने हेतु ज्यादा सहज बनाया जा सके।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश में जो अस्पष्टता है, उसे दूर करने के लिए, मैं अंतरराष्ट्रीय परिपाटी का अनुसरण करने और एक व्यापक सिद्धान्त विहित करने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम के अनुसार जहां किसी कंपनी में निवेशक का हिस्सा 10 प्रतिशत या उससे कम है, वहां उसे विदेशी संस्थागत निवेशक माना जाएगा तथा जहां किसी निवेशक का हिस्सा 10 प्रतिशत से अधिक है वहां उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा। इस सिद्धांत को लागू करने तथा शीघ्रता से ब्यौरा तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी।

- विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में अपने भारतीय रुपए की दृष्टि से निवेश की सीमा तक विनियम व्यापारित करेंसी व्युत्पन्न खंड में भाग लेने की अनुमति होगी।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को अपनी मार्जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कॉलेट्रल के रूप में कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश का प्रयोग करने की भी अनुमति होगी।
- आदर्श निवेशक नए उद्यमों के लिए अनुभव और पूंजी दोनों लेकर आते हैं। सेबी आदर्श निवेशक पूल के लिए शर्तें विहित करता है जिसके द्वारा उनको श्रेणी 1 एआईएफ उद्यम पूंजी निधियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- कंपनियों के निगमन सहित, लघु और मझौले उपक्रमों को प्रारंभिक पब्लिक आफर करने की अपेक्षा के बिना, लघु और मझौले उपक्रमों के एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति होगी परन्तु यह निर्गम अधिसूचित निवेशकों तक सीमित होगा। यह नई सुविधा मौजूदा लघु और मझौले उपक्रम प्लेटफार्म के अलावा होगी, इस प्लेटफार्म में आईपीओ के माध्यम से और व्यापक निवेश भागीदारी करके सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- ऋण बाजार के विकास के उद्देश्य से, स्टॉक एक्सचेंजों को विनिमय संबंधी एक समर्पित विनिमय ऋण खण्ड शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। बैंकों और प्राइमरी डीलर्स मालिकाना कारोबारी सदस्य होंगे। एक सम्पूर्ण बाजार सृजित करने के लिए, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों और पेंशन निधियों की अनुमति क्षेत्रीय विनियामक के अनुमोदन से ऋण खण्ड में सीधे व्यापार करने की होगी।
- म्यूचुअल फंड वितरकों को स्टॉक एक्सचेंजों के म्यूचुअल फंड खण्ड में सदस्य बनने की अनुमति होगी ताकि वे अपनी पहुंच और वितरण सुधारने के लिए स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क के लाभों को बढ़ा सकें।
- पात्र प्रतिभूतियों की सूची को व्यापक बनाया जाएगा जिससे की विनिमय व्यापारित निधियों, डेट म्यूचुअल फंड्स और आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सके। इन पात्र प्रतिभूतियों में पेंशन निधियां और भविष्य निधियां निवेश की जा सकेंगी।

VI. पर्यावरण

96. भारत में प्रतिदिन कई हजार टन कचरा निकलता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जैव-निम्नीकरणीय कचरा संसाधित किया जा सकता है। हम नगरों और नगरपालिकाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना तैयार करेंगे कि वे सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं का कार्य हाथ में लें। इससे प्रौद्योगिकियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यवहार्यता अंतराल निधियन, संदेय अनुदान और निम्न लागत वाली पूंजी जैसी भिन्न-भिन्न लिखतों के माध्यम से जो नगरपालिकायें कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की परियोजनायें कार्यान्वित करेंगी, उनके लिए मैं, सहायता का प्रस्ताव करता हूं।

97. स्वच्छ और हरित ऊर्जा सरकार की प्राथमिकता है। तथापि, श्रम, भूमि और निर्माण की लागत में किफायत होने के बावजूद, उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उच्च कीमत देता है। इन कारणों में से एक कारण उच्च वित्त लागत का होना है। निम्न लागत पर वित्त प्रदान करने के लिए सरकार

क्षम नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ईरेडा को ऋण देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से कम ब्याज वाली निधियां उपलब्ध करेगी। इस योजना की क्रियान्वयन अवधि पांच वर्ष होगी।

98. गैर-परंपरागत पवन ऊर्जा सेक्टर को प्रोत्साहनों की जरूरत है। इसलिए, मैं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन' पुनःशुरू करने और इस उद्देश्य के लिए गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 800 करोड़ रुपये के अनुमोदन का प्रस्ताव करता हूं।

VII. अन्य प्रस्ताव

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

99. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) पूरक निधियन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं 2013-14 में 11,500 करोड़ रुपये के साथ-साथ एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में बिहार, बुंदेलखण्ड क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ओडीशा के केबीके जिले और एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत 82 जिलों के राज्य घटकों को शामिल किया जाएगा। पिछड़ेपन निर्धारण के वर्तमान मानक भूमि, जनसंख्या धनत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लम्बाई पर आधारित हैं। ज्यादा प्रासंगिक यह होगा कि इसमें प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता तथा अन्य मानव विकास संसूचकों जैसे राष्ट्रीय औसत से राज्य की दूरी जैसे उपायों का उपयोग किया जाए। मैं नये मानदंड तैयार करने तथा उन्हें भविष्य की योजनाओं तथा निधियों के अंतरण में प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

कौशल विकास

100. माननीय सदस्यों को याद होगा कि 2008-09 में मैंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की प्रस्तावना की थी। अतः निगम की स्थापना की गई तथा इसने अच्छा कार्य किया है, लेकिन इस दिशा में अभी प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। हमने 12वीं योजना अवधि के दौरान 50 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान करने संबंधी महत्वकांक्षी योजना तैयार की है जिससे 2013-14 में 9 मिलियन लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना होगा। निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जारी की जाएंगी और कौशल विकास गतिविधियों पर व्यय की जाएंगी। कौशल विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम निधि का 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उप आयोजना को केंद्रीय सहायता का 10 प्रतिशत, जनजातीय उप आयोजना और कुछ अन्य निधियों का भी उपयोग किया जाएगा।

रक्षा

101. मैं प्रस्ताव करता हूं कि रक्षा के लिए आवंटन बढ़ाकर 203,672 करोड़ रुपये किया जाए। इसमें 86,741 करोड़ रुपये का पूंजी व्यय शामिल है। मेरे सहयोगी रक्षा मंत्री अत्यधिक सूझ-बूझ वाले रहे हैं, और मैं उन्हें और सदन को आश्वासन देता हूं कि देश की सुरक्षा में किसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

102. बाधाओं के बावजूद, हमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए और अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा आदि के लिए संसाधन तलाशने होंगे। मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए 6,275 करोड़ रुपये, अन्तरिक्ष विभाग को 5,615 करोड़ रुपये; और परमाणु ऊर्जा विभाग को 5,880 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि ये पर्याप्त बढ़ोतरियां हैं।

103. हालांकि हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के गुणों की प्रशंसा करते हैं किंतु मैं सोचता हूं कि हम आम आदमी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहाकार की सहायता से, मैंने कुछ एस एंड टी नवाचारों की पहचान की है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संगठनों के निधियन हेतु 200 करोड़ रुपये पृथक रूप से रखे जाये जो इन उत्पादों का दायरा बढ़ाते हुए लोगों को ये उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। मैं राष्ट्रीय नवाचार परिषद् निधि के प्रबंधन और अनुप्रयोग के लिए भी एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव करता हूं।

उत्कृष्ट संस्थाएं

104. उत्कृष्टता संबंधी संस्थाओं की सहायता करने की परंपरा जारी रखते हुए मैं निम्न में प्रत्येक को 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं :

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ परिसर
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
- टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी परिसर
- इंडियन नेशनल ट्रस्ट फार आर्ट एंड कल्चरल हैरिटेज (इन्टैक)

खेल

105. सभी खेलों को हमारी सहायता की जरूरत है। हमारे पास अनेकों पुरूष और महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रशिक्षक कम हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान 250 करोड़ रुपये की लागत से पटियाला में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाए।

प्रसारण

106. सरकार प्रस्ताव करती है कि निजी एफएम रेडियो की सेवाओं को 294 और शहरों तक पहुंचाया जाये। वर्ष 2013-14 में लगभग 839 नये एफएम चैनलों की नीलामी की जाएगी और, नीलामी के पश्चात् उन सभी नगरों में जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है निजी एफएम रेडियो सेवायें उपलब्ध होंगी।

पंचायती राज

107. वर्तमान वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 50 करोड़ रुपये के सामान्य आवंटन के साथ आरंभ किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2013-14 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए मैंने 455 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, मैं 200 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव करता हूं।

डाकघर

108. सरकार ने 4,909 करोड़ रुपये की लागत पर पोस्टल नेटवर्क को आधुनिकीकृत बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रेरित एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। डाकघर बुनियादी बैंकिंग

समाधान का हिस्सा बन जाएंगें और साथ-साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेंगे। मैं 2013-14 में इस परियोजना के लिए 532 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

गदर स्मारक

109. गदर आंदोलन की शताब्दी मनाने के लिए, सरकार सेन-फ्रांसिको में गदर स्मारक को संग्रहालय तथा पुस्तकालय में परिवर्तित करने के लिए धनराशि प्रदान करेगी।

केंद्रीय योजनाएं

110. सरकार केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता संबंधी योजनाओं को कम करने के बारे में चिंतित है। ये, 11वीं योजना के अंत में, 173 थीं। मुझे यह घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि इन योजनाओं को 70 योजनाओं में पुनः बनाया जाएगा। प्रत्येक योजना की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी। इन योजनाओं के लिए केंद्रीय निधियां केंद्रीय आयोजना सहायता के भाग के रूप में राज्यों को दी जाएंगी। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 2013-14 में, मैं करों के हिस्से, गैर योजना अनुदानों और ऋणों और केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 5,87,082 करोड़ रुपए तक का संसाधन अंतरण की आशा करता हूं।

मैं तीन वचन देता हूं

111. अध्यक्ष महोदया, अपने भाषण के इस भाग को समाप्त करने से पूर्व, मैं भारत के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन रूपों का उल्लेख करना चाहूंगा। पहला महिला का रूप। वह बालिका है, युवा विद्यार्थी है, गृहणी है, कामकाजी महिला है, और माँ है और अनेक अन्य भूमिकाओं में देखा जा सकता है। दूसरा रूप युवा का है। वह अधीर है, वह महत्वाकाक्षी है और दोनों ही नई पीढ़ी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा रूप गरीब व्यक्ति का है जो छोटी सी सहायता, छात्रवृत्ति या भत्ते या किसी सब्सिडी अथवा पेंशन के लिए सरकार की ओर देखता है। इनमें से प्रत्येक को मैं, सरकार, प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्ष महोदया की ओर से वादा करता हूं।

112. मैं भारत की महिलाओं को यह कहना चाहता हूं। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हाल में हुई घटनाओं ने हमारे उदार और प्रगतिशील विश्वासों पर एक अमिट काली छाया छोडी है। जैसे ही अधिक महिलाएं शिक्षा या कार्य अथवा सेवाओं के अभिगम या फुर्सत के लिए सार्वजनिक स्थानों में जाती हैं, उनके विरुद्ध हिंसा की अधिक रिपोर्ट मिलती हैं। हम अपनी लड़कियों और महिलाओं के साथ दृढ़ता से खडे हैं। हम उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित एवं सुनिश्चित रखने में हर संभव कार्य करने के लिए वचनबद्ध हैं। अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं तथा कितने और सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किए जाएंगे। इन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अग्रिम के रूप में, मैं एक निधि - इसे हम निर्गम निधि कहेंगे, की स्थापना का प्रस्ताव करता हूं और सरकार 1,000 करोड़ रुपए का अंशदान करेगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से इस निधि की संरचना, कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग का ब्यौरा तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

113. भारत के युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में कौशल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए अवश्य प्रेरित किया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि भिन्न-भिन्न कौशलों में प्रशिक्षण के लिए पाठयचर्या और मानक नियत किए जाएं। कोई भी संस्था या निकाय प्रशिक्षण दे सकेगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उम्मीदवार से अपेक्षा है कि उसे प्राधिकृत प्रमाणन निकायों द्वारा संचालित परीक्षा देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उम्मीदावर को एक प्रमाणपत्र तथा प्रति उम्मीदवार औसतन 10,000 रुपए का मौद्रिक इनाम दिया जाएगा। कौशल नियोज्यता एवं उत्पादकता में बहुत बड़ा इजाफा करेंगे। यह धारणा कि 10,00,000 युवाओं को प्रेरित किया जा सकता है, के बारे में, मैं इस महत्त्वाकांक्षी योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

114. भारत के गरीब व्यक्ति के लिए मैं यह कहना चाहता हूं । प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ने लोगों, विशेषकर, गरीब व्यक्ति की परिकल्पना को ग्रहण किया है। असली धन वही है जो जनता के काम आए, जब हम कहते हैं कि "आपका पैसा आपके हाथ", कोई इसका विरोध क्यों करें ? हमने 01 जनवरी, 2013 को एक नम्र और सचेत शुरूआत की है। लगभग 11 लाख लाभार्थियों को यह लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुआ है। हमने अपने चारों ओर उन दलित बालिकाओं और जनजातीय बालकों के चेहरों पर मुस्कान देखी है जिन्हें छात्रवृत्तियां मिली हैं। हमें गर्भवती महिलाओं, जिन्हें यह आश्वस्त किया जाता है कि सरकार शिशु के जन्म के पहले और बाद में मां और बच्चे की देखभाल करती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को दुगना कर रहे हैं कि डिजीटाइज्ड लाभार्थी सूचियां उपलब्ध हों; कि प्रत्येक लाभार्थी के लिए बैंक खाता खोला जाए; तथा बैंक खाते को यथा समय आधार के साथ संयुक्त किया जाए। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत के लोगों, के लिए यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरे देश में लागू हो जाएगी।

बजट अनुमान

115. अब मैं, 2013-14 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं ।

116. आयोजना परिव्यय का अनुमान 5,55,322 करोड़ रुपए लगाया गया है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में यह 33.3 प्रतिशत होगा।

117. आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान 11,09,975 करोड़ रुपए लगाया गया है।

118. जब हमने केलकर रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें स्वीकार की थी, मैंने लक्ष्मण रेखाएं खींची थी तथा वादा किया था कि मैं उन्हें नहीं लांघूंगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अपना वादा बनाए रखा है। वर्तमान वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को 5.2 प्रतिशत पर नियंत्रित किया गया है तथा वर्ष 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान 4.8 प्रतिशत लगाया गया है। मौजूदा वर्ष के लिए राजस्व घाटा 3.9 प्रतिशत होगा और वर्ष 2013-14 के लिए राजस्व घाटा 3.3 प्रतिशत होना अनुमानित है। हमें 2016-17 तक अपना वादा अवश्य पूर्ण करना चाहिए तथा राजकोषीय घाटा कम करके 3 प्रतिशत तक लाना, राजस्व घाटा 1.5 प्रतिशत तक और प्रभावी राजस्व घाटा शून्य करना है।

भाग ख

VIII. कर प्रस्ताव

119. अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

120. जब मैने अगस्त, 2012 में कार्यभार संभाला था, मैंने एक वक्तव्य दिया था कि ''कर नियमों में स्पष्टता, एक स्थायी कर व्यवस्था, एक अप्रतिकूल कर प्रशासन, विवाद समाधान के लिए एक उचित तंत्र, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका से अधिक संरक्षितता'' प्राप्त होगी। उस विवरण में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के संबंध में मेरे कर प्रस्तावों के मुख्य विषय की रूपरेखा दी गयी है।

121. उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए जिसमें विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं की झलक मिलती हो। कर नीतियों तथा कर कानूनों के अनुप्रयोग की समीक्षा व इस संबंध में आवधिक रिपोर्टें, जिन्हें हमारी कर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के क्रम में लागू किया जा सके, प्रस्तुत करने के लिए मैं कर प्रशासन सुधार आयोग के गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

122. वर्ष 2011-12 में, कर स.घ.उ. का अनुपात प्रत्यक्ष करों के लिए 5.5 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों के लिए 4.4 प्रतिशत था। किसी बड़े विकासशील देश के लिए ये अनुपात निम्नतम अनुपातों में हैं तथा समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुट पाएंगे। मैं यह स्मरण दिलाना चाहूँगा कि 2007-08 में कर स.घ.उ. अनुपात 11.9 प्रतिशत के उच्चतम पर पहुँच गया था। अल्पावधि में, हमें वह उच्चतम विकास अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

प्रत्यक्ष कर

123. मैं प्रत्यक्ष करों से आरंभ करता हूँ।

124. किसी बाधित अर्थव्यवस्था में, कर दरें बढ़ाने या अतिरिक्त कर राजस्वों की बहुत बड़ी राशि जुटाने की कम गुंजाइश होती है। इसी प्रकार कर राजस्वों या कर आधार देने की गुंजाइश कम ही है। यह विवेक, संयम और धैर्य वाला समय है।

125. व्यक्तिगत आय कर दरों ने चार वित्त मंत्रियो और चार सरकारों को बनाए रखा है। मौजूदा स्लैब पिछले वर्ष ही शुरु किए गए थे। इसलिए मेरा विचार है कि इन स्लेबों या दरों को संशोधित करने की आवश्यकता नही हैं। इसके अलावा, प्रारंभिक छूट-स्तर में मामूली सी वृद्धि करने का अर्थ होगा, कई सौ हजार करदाता कर नेट से बाहर हो जाएंगे और कर आधार काफी घट जाएगा। ऐसा होते हुए भी, मैं 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के प्रथम स्लैब में करदाताओं को कुछ राहत देना चाहता हूँ। 10 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर और 2,00,000 रुपए से 2,20,000 रुपए करने की प्रारंभिक छूट में वैचारिक वृद्धि को मानते हुए, मैं 5 लाख रुपए तक की कुल आय वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपए की कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आशा है कि 1.8 करोड़ कर दाताओं को 3,600 करोड़ रुपए का लाभ होगा।

126. राजकोषीय समेकन को व्यय की कटौती करके ही प्रभावी नही किया जा सकता है। जहाँ कहीं संभव हो, राजस्व अवश्य बढाए जाने चाहिए। जब मुझे संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मैं समाज में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले लोगों के सिवाए किसकी ओर जा सकता हूँ। 42,800 व्यक्ति हैं- मैं फिर कहता हूँ, केवल 42,800 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए

से अधिक की कर-योग्य आय स्वीकार की है। मैं, प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। यह व्यष्टियों, हिंदु अविभक्त कुटुंबों और समान कर स्थिति वाले फर्मों और संगठनों पर लागू होगा।

127. मैं, प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। निगम कर की उच्चतर दर अदा करने वाली विदेशी कंपनियों की स्थिति में यह अधिभार 2 प्रतिशत से बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाएगा।

128. लाभांश वितरण कर या संवितरित आय पर कर जैसे सभी अन्य मामलों में, मैं 5 प्रतिशत के मौजूदा अधिभार को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

129. यह अतिरिक्त अधिभार केवल एक वर्ष, अर्थात वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लागू होंगे।

130. मेरा विश्वास है कि श्री अजिम प्रेमजी जैसी भावना प्रत्येक धनी कर दाता में बहुत कम दिखायी देती है। मुझे विश्वास है कि जब मैं अपेक्षाकृत धनी व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए, केवल एक वर्ष कुछ भार वहन करने के लिए कहूँगा, तो वे इसे प्रसन्नतापूर्वक वहन कर लेंगे।

131. सभी करदाताओं के लिए शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत की दर पर जारी रहेगा।

132. मैंने, अपने भाषण के भाग 'क' में, घर क्रेता, जो 25,00,000 रुपए तक का ऋण लेता है, के लिए कर लाभ देने का उल्लेख किया था। मैं ऐसे घर क्रेताओं को वर्ष 2014-15 में दावा किए जाने वाले 1,00,000 रुपए के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि यह सीमा समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा वर्ष 2015-16 में किया जा सकेगा। यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के अधीन एवं अधिभोग वाली संपत्तियों के लिए अनुमत 1,50,000 रुपए की कटौती के अलावा होगी।

133. मैं, बीमाकृत कंपनी की अनुज्ञेय प्रीमियम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके निःशक्तता या कतिपय बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जीवनबीमा पालिसी की पात्रता शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह छूट 1.04.2013 को या उसके पश्चात् जारी पॉलिसियों के बारे में उपलब्ध होगी।

134. केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में किए गए अंशदान आय कर अधिनियम की धारा 80घ के अधीन कटौती के लिए पात्र हैं। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की इसी तरह की योजनाओं के लिए वही लाभ देने का प्रस्ताव करता हूँ।

135. राष्ट्रीय बाल निधि में किए गए दान अब 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार होंगे।

136. कोई भी बड़ा देश, जोरदार विनिर्माण सेक्टर के बिना, वास्तव में विकसित देश नहीं बन सकता है। इस प्रकार, मेरे भाषण के भाग 'क' में बताया गया है, मैं ऐसी विनिर्माण कंपनी, जो 01.04.2013 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान प्लांट और मशीनरी के रूप में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, को 15% की दर पर निवेश भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

137. मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80-झक के अधीन 31.03.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत सेक्टर की परियोजनाओं के लिए ''पात्र तारीख'' प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

138. विदेश स्थित भारतीय कंपनियों से प्राप्त निधियों को स्वदेश भेजना प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, भारतीय कंपनी द्वारा उसकी विदेश स्थित सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश पर 15 प्रतिशत की कर-रियायत दर को और एक वर्ष जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा,

भारतीय कंपनी अपनी विदेश स्थित कंपनी से प्राप्त आय के इस अंश का अपने शेयरधारकों को वितरण करने पर लाभांश वितरण कर संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी।

139. विदेशी मुद्रा में दीर्घकालिक अवसंरचना बांडों में निवेश जुटाने की दृष्टि से, अनिवासी निवेशकों को संदत्त ब्याज पर कर की दर पिछले वर्ष की 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी थी। मैं, रुपया अंकित दीर्घकालिक अवसंरचना बांडों में निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किए गए निवेश के लिए उसे देने का प्रस्ताव करता हूँ।

140. वित्तीय संस्थाओं को एक विशिष्ट प्रयोजन साधन के माध्यम से अपनी आस्तियों को प्रतिभूतिकृत करने में आसानी के लिए, मैं, प्रतिभूतिकरण न्यास को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। कर कंपनियों की स्थिति में 30 प्रतिशत की दर पर तथा व्यष्टियों या हिंदु अविभक्त कुटुंब की दशा में 25 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा आय के वितरण के समय ही लगाया जाएगा।

141. लाभदायक स्वामियों के हित की सुरक्षा के लिए निक्षेपागार द्वारा स्थापित निवेशक संरक्षण निधि को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

142. मैं, उस आईडीएफ-म्यूचुअल फंड जो आय वितरित करती है और आईडीएफ-एनबीएफसी जो ब्याज अदा करती है, यदि भुगतान किसी अनिवासी को किया जाए, के बीच समानता प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार वितरित आय अथवा ब्याज पर कर की दर 5 प्रतिशत होगी।

143. आयकर अधिनियम के अंतर्गत, वेंचर पूंजी निधियों की अनुमति पास थ्रू स्टेटस के माध्यम से दी गयी है। सेबी के संगत विनियमों का स्थान विकल्पी निवेश निधि विनियमों ने ले लिया है। इसलिए, मैं, वेंचर पूंजी निधियों के रूप में सेबी के पास पंजीकृत श्रेणी-। विकल्पी निवेश निधियों को, कतिपय शर्तों का पालन करने पर, पास थ्रू स्टेटस प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आदर्श निवेशकों, जो श्रेणी-। विकल्पी निवेश निधि वेंचर पूंजी के रूप में जाने जाते हैं, को भी पास थ्रू स्टेटस मिलेगा।

144. मैं, राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके ब्यौरे का उल्लेख मैंने अपने भाषण के भाग 'क' में किया था।

145. अचल संपत्तियों में किए जाने वाले संव्यवहारों का सामान्यतया कम मूल्यांकन और कम रिपोर्टिंग की जाती है। आधे संव्यवहारों में संबंधित पक्षकारों की पेन संख्या नहीं दी जाती है। ऐसे संव्यवहारों की रिपोर्टिंग और पूंजी अभिलाभों को सुधारने की दृष्टि से, अचल संपत्ति, जहां प्रतिफल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक हैं, के अंतरण के मूल्य पर एक प्रतिशत की दर पर टीडीएस लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, कृषि भूमि को इससे छूट मिलेगी।

146. कुछ कर परिहार्य वंचन ध्यान में आए हैं, मैं इन अपवंचनों को बंद करने का प्रस्ताव करता हूँ। कुछ असूचीबद्ध कंपनियों ने शेयरों की वापसी खरीद करके अपवंचनों से लाभांश वितरण कर बचाया है जिससे कि कर का संदाय किए बिना, कंपनी की वितरण योग्य आय अंतरित हो गयी है। मैं, असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा, शेयरों की वापसी खरीद करके, शेयरधारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर पर अंतिम विदहोल्डिंग कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

147. दूसरा मामला, किसी सहायक कंपनी द्वारा विदेश स्थित मूल कंपनी को रायल्टी के रूप में लाभों के वितरण का है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम में रायल्टी पर कर की दर, अनेक दोहरे कर परिहार्य करारों में उपबंधित दरों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम है। यह लाभांश वितरण कर की दर से भी कम है। यह एक ऐसी विसंगति है जिसे अवश्य दूर किया जाना चाहिए। इसलिए,

मैं अनिवासियों को तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी और फीस के रूप में संदायों पर कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, लागू दर, दोहरे कर परिहार्य करार में नियत कर की दर होगी।

148. प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संव्यवहारों पर एक स्थिर प्रभाव होता है बेशक इससे संव्यवहार लागत बढ़ जाती है। बाजार में हुए बदलावों और युक्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं कर की दरों में निम्नलिखित कटौतियां करने का प्रस्ताव करता हूँ:

इक्विटी वायदा बाजार	: 0.017 से 0.01 प्रतिशत
निधि केन्द्रों पर एमएफ/ईटीएफ मोचन	: 0.25 से 0.001 प्रतिशत
एक्सचेंजों में एमएफ/ईटीएफ खरीद/फरोख्त	: 0.1 से 0.001 प्रतिशत, केवल विक्रेता पर

149. प्रतिभूति बाजार में व्युत्पन्न कारोबार और पण्य बाजार में व्युत्पन्न कारोबार के बीच कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंडरलाइंग परिसंपत्ति अलग है। यह पण्य संव्यवहार कर (सीटीटी) को सीमित रूप में लागू करने का समय है। इसलिए, मैं इक्विटी वायदा बाजार में यथा लागू दर की तरह समान दर पर, जो इस समय व्यापार मूल्य का 0.01 प्रतिशत है, कृषि-भिन्न वस्तु वायदा बाजार संविदाओं पर सीटीटी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। वस्तु व्युत्पन्नों में किए जाने वाले कारोबार को 'सट्टा संव्यवहार' नहीं समझा जाएगा और यदि ऐसे संव्यवहार से आय कारबार आय का हिस्सा होती है, तो कटौती के रूप में सीटीटी की अनुमति दी जाएगी। जैसाकि मैंने कहा है, कृषि वस्तुओं को छूट प्राप्त होगी।

150. माननीय सदस्यों को पता है कि वित्त अधिनियम, 2012 में सामान्य परिहार्य-निषेध नियम, संक्षेप में, जीएएआर शुरू किया गया था। इन नए उपबंधों के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने और जीएएआर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी। इस समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने 14.1.2013 को कतिपय निर्णयों की घोषणा की जिनका व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। मैं, इन निर्णयों को आयकर अधिनियम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनुचित कर परिहार्य अपवंचन, एक निर्धारण (कर) अधिकारी और एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अनुमोदित करने वाले पैनल को सम्मिलित करके एक सुनिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अवधारण करने के बाद, कराधीन होंगे। मैं, संशोधित उपबंधों को 1.4.2016 से लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

151. विकास केन्द्रों तथा आईटी क्षेत्र से कर संबंधित मामलों तथा बहुत से क्षेत्रों के लिए सेफ हार्बर नियमों की जांच करने के लिए रंगाचारी समिति नियुक्त की गई थी। हमने आईटी क्षेत्र के निर्यातों को कवर करने वाला एक परिपत्र जारी किया है तथा विकास केन्द्रों को कवर करने वाला एक परिपत्र शीघ्र जारी किया जाएगा। सेफ हार्बर नियमों को, समिति की रिपोर्टों की जांच के बाद, जारी किया जाएगा। इसकी अंतिम रिर्पोट 31.3.2013 तक आनी अपेक्षित है।

152. पांचवीं बड़ी कर दाता यूनिट कोलकाता में शीघ्र खोली जाएगी।

153. मैंने विगत कुछ महीनों में अनेक प्रशासनिक उपाय भी किए हैं। मै, वार्षिक सूचना विवरणियों का क्षेत्र बढ़ाने, अधिक बैंकों के माध्यम से ई-संदाय सुविधा प्रदान करने, 50,000 रुपए से अधिक के लिए रिफंड बैंकर प्रणाली का विस्तार करने, एवं निर्धारितियों की और श्रेणियों के लिए ई-फाइलिंग आवश्यकता करने का प्रस्ताव करता हूँ। आयकर विभाग प्रौद्योगिकी-आधारित प्रोसेसिंग की ओर तीव्रता से बढ रहा है जैसाकि बेंगलूरू में स्थापित किए गए सेंट्रल प्रोसेसिंग सैल तथा कुछ दिन पहले वैशाली, गाजियाबाद में शुरू किए गए सेंट्रल प्रोसेसिंग सैल-टीडीएस से स्पष्ट होता है।

154. प्रत्यक्ष कर संहिता के बारे में कार्य प्रगति पर है। इस प्रत्यक्ष कर संहिता का आशय आय कर अधिनियम, 1961 का संशोधित रूप तैयार करना ही नहीं है, बल्कि एक नई संहिता तैयार करना है, जो सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर आधारित होगी और वह तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और हम उसकी सिफारिशों को अत्यधिक महत्व देते हैं। वित्त मंत्रालय में मेरी टीम इन सिफारिशों की जांच कर रही है और मैं, आधिकारिक संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए स्थायी समिति और उसके अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मैं, इस बजट सत्र की समाप्ति से पूर्व, इस विधेयक को इस सदन के समक्ष पुनः लाने का प्रयास करूंगा।

अप्रत्यक्ष कर

155. मैं, अब अप्रत्यक्ष करों के बारे में बताना चाहूंगा।

156. कृषि-भिन्न उत्पादों के लिए 10 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क की उच्चतम दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पाद शुल्क की 12 प्रतिशत की सामान्य दर तथा सेवा कर की 12 प्रतिशत की सामान्य दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।

157. मैं सीमा शुल्क के बारे में कुछ प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

158. पर्यावरण अनुकूल वाहनों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं इलैक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के निर्दिष्ट पुर्जों के लिए अभी उपलब्ध रियायत की अवधि को 31.3.2015 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

159. चर्म और चर्म से बनी वस्तु विनिर्माण सेक्टर निर्यातों के लिए एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। मैं, फुटवियर सहित चर्म और चर्म से बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण की विनिर्दिष्ट मशीनरी पर ड्यूटी को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

160. निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, बहुमूल्य और कम मूल्य वाले रत्नों के निर्माण-पूर्व रूपों पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

161. तेल-रहित चावल भूसी खली पर लगे निर्यात शुल्क ने हमारे निर्यातों को अप्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसलिए मैं उक्त शुल्क को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट की कीमतें निर्यात बाजार में कई गुणा बढ़ गयी हैं। अपने नैसर्गिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, मैं, अप्रसंस्कृत इल्मेनाइट के निर्यात पर 10 प्रतिशत और उन्नत इल्मेनाइट के निर्यात पर 5 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

163. हवाई जहाज विनिर्माण, मरम्मत और जीर्णोधार (एमआरओ) उद्योग प्रारंभिक अवस्था में हैं। इस एमआरओ सेक्टर को प्रोत्साहित करने से अन्य लाभों के अलावा रोजगार सृजन भी होगा। अतः मैं, एमआरओ उद्योग को कतिपय रियायत देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका विवरण बजट दस्तावेजों में दिया गया है।

164. सेट टॉप बॉक्स के घरेलू उत्पादन और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं इस पर लगने वाले शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

165. घरेलू रेशम उद्योग को संरक्षण उपाय देने के लिए, मैं कच्चे रेशम पर लगने वाले शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

166. भाप कोयला सीमा शुल्क से मुक्त है परन्तु उस पर एक प्रतिशत का सीवीडी लगता है।

बिटुमनी कोयले पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क और 6 प्रतिशत का सीवीडी लगता है। चूंकि दोनों प्रकार का कोयला तापीय विद्युत केंद्रों में इस्तेमाल किया जाता है, अनियंत्रित गलत वर्गीकरण किया जाता है। मैं, दोनों प्रकार के कोयलों पर शुल्क को समान करने तथा 2 प्रतिशत का सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत का सीवीडी उद्ग्रहीत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

167. भारत में एक धनाढ्य वर्ग है जो अत्यधिक कीमत वाले वाहनों, मोटरसाइकिलों, नावों और इसी प्रकार के वाहनों जैसी आयातित विलासिता वाली वस्तुओं का उपभोग करता है। मुझे विश्वास है कि उन्हें थोड़ा सा अधिक देने पर कोई एतराज नहीं होगा। अतः मैं ऐसे मोटर वाहनों पर सीमाशुल्क 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने; 800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने; और नावों एवं इसी प्रकार के जलयानों पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

168. पात्र यात्रियों को आभूषण लाने की अनुमति देने वाले सामान नियम पिछली बार 1991 में संशोधित किए गए थे। तब से स्वर्ण कीमतें बढ़ गयी हैं और यात्रियों ने उत्पीड़न की शिकायतें की हैं। मैं, इस शुल्क-मुक्त सीमा को, सामान्य शर्तों का पालन करने पर, बढ़ाकर पुरुष यात्री की दशा में 50,000 रुपए करने और महिला यात्री के मामले में 1,00,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

169. अब मैं, उत्पाद शुल्कों के बारे में बताना चाहूँगा।

170. रेडिमेड वस्त्र उद्योग संकट में फंसा हुआ है। इस उद्योग को लाइफलाइन की आवश्यकता है। धागे, फेब्रिक गारमेंट अवस्थाओं पर कॉटन और मानव निर्मित सेक्टर (काता हुआ धागा) के लिए 'शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग' को बहाल करने की मांग है। मैं यह मांग स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। कॉटन की दशा में, फाइबर अवस्था पर भी शून्य शुल्क होगा और काते हुए धागे के मामले में, फाइबर अवस्था पर 12 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क होगा। 'शून्य उत्पाद शुल्क मार्ग' अभी उपलब्ध सेनवेट मार्ग के अलावा होगा।

171. मैं, हस्तनिर्मित कालीनों और नारियल की जटा या पटसन से बनी टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंगों को उत्पाद शुल्क से पूर्णतया मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

172. पोत निर्माण उद्योग को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं पोतों और जलयानों को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। परिणामस्वरूप, आयातित पोतों और जलयानों पर कोई सीवीडी नहीं होगा।

173. वित्त मंत्री को जब संसाधनों की आवश्यकता हो तो वह किसकी तरफ देखेगा? उत्तर है - सिगरेट। मैं, सिगरेटों पर लगभग 18 प्रतिशत तक विशिष्ट उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। सिगारों, चुरुट एवं सिगार उत्पादों पर वैसी ही शुल्क वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ।

174. एसयू वाहन अधिक सड़क पार्किंग घेरते हैं तथा उन पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। इसलिए मैं, एसयू वाहनों पर उत्पाद-शुल्क को 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, टेक्सियों के रूप में पंजीकृत एसयू वाहनों पर यह शुल्क वृद्धि लागू नहीं होगी।

175. मार्बल पर उत्पाद शुल्क की दर 1996 में नियत की गयी थी। मार्बल की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए, मैं उत्पाद शुल्क को 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

176. मैं, इस दर को, तांबा अयस्क और सांद्रों से प्राप्त चांदी पर लागू उत्पाद शुल्क के अनुरूप करने के लिए, समेल्टिंग जस्ता या सीसा से विनिर्मित चांदी पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

177. लगभग 70 प्रतिशत आयातित मोबाइल फोनों और स्वदेश में विनिर्मित लगभग 60 प्रतिशत मोबाइल फोनों की कीमत 2000 रुपए या कम होती है। मोबाइल फोनों पर एक प्रतिशत का रियायती उत्पाद शुल्क लगता है और मैं कम कीमत वाले मोबाइल फोनों की स्थिति में उसे बदलना नहीं चाहता हूँ। तथापि, मैं, 2000 रुपए से अधिक की कीमत वाले मोबाइल फोनों पर, इस शुल्क को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

178. मूल्यांकन संबंधी विवादों को कम करने के लिए, मैं आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और औषधियों की बायोकेमिक प्रणालियों के विषय में एमआरपी आधारित निर्धारण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन पर 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

179. सेवा कर के संबंध में, मेरे कुछेक ही प्रस्ताव हैं। नकारात्मक सूची पिछले बजट से लागू हो गयी है। कर व्यवस्था में स्थायित्व महत्वपूर्ण होता है। मैं केवल दो सेवाओं, जो योग्य दिखायी देती हैं, को नकारात्मक सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। वे राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कृषि एवं कृषि उत्पाद के संबंध में परीक्षण क्रियाकलाप हैं।

180. पिछले वर्ष, फिल्म उद्योग के अनुरोध पर, सिने-चल-चित्रिकी के कापीराइट पर सेवा कर की पूर्ण छूट प्रदान की गयी थी। फिल्म उद्योग ने अब यह अनुरोध किया है कि इस छूट का फायदा सिनेमा हाल में प्रदर्शित फिल्मों तक सीमित कर दिया जाए। मैं इस अनुरोध को मानने का प्रस्ताव करता हूँ।

181. इस समय, शराब न परोसने वाले वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लागू नहीं है। यह अंतर बनावटी है तथा मैं, सभी वातानुकूलित रेस्तराओं पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

182. 2000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक कारपेट क्षेत्र वाले या 1 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक लागत वाले घर और फ्लैट उच्चस्तरीय विनिर्माण हैं जिनमें सेवा का घटक अधिक है। इसलिए, मैं इस श्रेणी की इमारतों के लिए कटौती की दर को कम करते हुए 75 प्रतिशत से 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। कम लागत वाले आवास और एकल रिहाइशी यूनिटों के लिए सेवाकर से मौजूदा छूट जारी रहेगी।

183. यद्यपि सेवा कर के अंतर्गत लगभग 17,00,000 पंजीकृत निर्धारिती हैं, परन्तु लगभग 7,00,000 ही विवरणी फाइल करते हैं। कइयों ने विवरणियां फाइल करना ही बंद कर दिया है। हम उनमें से हरेक के पीछे नहीं पड़ सकते हैं। मुझे विवरणियां फाइल करने और कर देयों का भुगतान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। अतः मैं ''स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना'' नामक एकबारगी योजना आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोई चूककर्ता इस शर्त पर इस योजना का फायदा उठा सकेगा कि वह 1.10.2007 से सेवा कर देयों की ईमानदारी से घोषणा फाइल करे तथा नियत तारीखों से पूर्व एक या दो किस्तों में भुगतान करे। ऐसे मामले में, ब्याज, शास्ति और अन्य परिणामी राशियां माफ कर दी जाएंगी। मुझे आशा है कि कई गुणा कर लौटाने के लिए बड़ी संख्या में निर्धारितियों को प्रेरित किया जा सकेगा। मुझे यह भी आशा है कि इससे काफी धनराशि एकत्रित होगी।

184. कुछेक और निर्णय ऐसे होते है जिनसे राजस्वों के अभिलाभ और हानियां होंगी। इन्हें बजट दस्तावेजों में परिलक्षित किया गया है।

185. प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे कर प्रस्तावों से 13,300 करोड़ रुपए तथा अप्रत्यक्ष करों से 4,700 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है।

वस्तु एवं सेवा कर

186. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने पहली बार 2007-08 के बजट भाषण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का उल्लेख किया था। उस समय यह सोचा गया था कि जीएसटी 01.04.2010 से लागू किया जा सकता है। परन्तु, ऐसा नहीं हुआ, यद्यपि सभी राज्यों को इसका फायदा होता है। तथापि, राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के साथ मेरी हाल की बैठकों ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकारें - अथवा कम से कम अधिकांश राज्य सरकारें इस बात से सहमत हैं कि संवैधानिक संशोधन की जरूरत है; राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे जीएसटी कानून पास करें। इसका मसौदा राज्यों के वित्त मंत्रियों और जीएसटी परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा, तथा केंद्र के लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति की जाए। मुझे आशा है कि आगामी कुछेक महीनों में इस विषय पर सहमति हो सकेगी तथा वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में संवैधानिक संशोधन के बारे में विधेयक का प्रारूप और वस्तु एवं सेवा कर के बारे में विधेयक का प्रारूप इस सदन के समक्ष लाया जाएगा। आशा से बल मिलता है । मैं, केंद्रीय बिक्री कर प्रतिपूर्ति की शेष राशि की प्रथम किस्त के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि अलग रखकर प्रथम निर्णायक कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्यों के वित्त मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए सरकार के गंभीर आशय को महसूस करें तथा सरकार के साथ काम करने हेतु आगे आयें तथा देश की कर व्यवस्था में विकासात्मक परिवर्तन लायें।

निष्कर्ष

187. अध्यक्ष महोदया, फरवरी माह का अंतिम दिन राष्ट्र के जीवन में एक अन्य तरह का दिन होता है। आज हम अतीत और भविष्य पर नज़र डालने के लिए रुकते हैं और हम अपना काम कल शुरु करेंगे। हमारा कार्य हमारे कर्मों में दिखाई देगा। हम कैसे कार्य करेंगे? मैं अपने मनपसंद कवि संत तिरुवल्लुवर की बात करता हूँ जिन्होंने कहा थाः

> ''कलंगथु कंड विनयकन थुलगकथु थुकंग कज्न्थि सेयल''
>
> (अटल इच्छाशक्ति और सजग मनःस्थिति के साथ नज़र जिसे
> सही पहचान लेती है, उसे पूरा किया जाना चाहिए)

188. कोई भी अर्थशास्त्री हमें बता सकता है कि भारत क्या बन सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में दसवें स्थान पर है। हम 2017 तक आठवें स्थान पर अथवा शायद सातवें स्थान पर भी आ सकते हैं। 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है जो विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हम क्या बनेंगे, यह हम पर और हमारे चुनाव जो हम करते हैं, पर निर्भर करता है। स्वामी विवेकानंद जिनकी 150वीं जयंती हम इस वर्ष मना रहे हैं, ने लोगों को कहा थाः ''जो भी शक्ति और हिम्मत आपको चाहिए वह आपके भीतर है। अतः अपने भविष्य का निर्माण करें।''

अध्यक्ष महोदया, भविष्य की ओर दृढ़ कदम के रूप में मैं यह बजट सदन को सौंपता हूँ।